न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 114/2022

GCMS NO. : 2022/263

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. बींजाराम पुत्र मोतीराम जाति–बावरी निवासी–निम्बोल, तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर राज0।		1. भीयाराम पुत्र जेठाराम जाति–बावरी निवासी–निम्बोल, तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर राज0। 2. तहसीलदार,(उपपंजीयन अधिकारी) जैतारण, तहसील– जैतारण

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजूः 12/07/2022

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 24/10/2024

वकील मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0 मे सायलान् एवं गैरसायलान् की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 349 रकबा 0.9712 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 350 रकबा 2.4686 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 353/1667 रकबा 0.5827 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.4128 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.4353 हैक्टयर की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे सायलान् का 1/2 हिस्सा व गैरसायलान् संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। इसी हिस्सेनुसार सायलान् एवं गैरसायलान् मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी सायलान् की संयुक्त सामलाती आराजी है जिसका सायलान् एवं गैरसायलान् के बीच मौके पर आपसी सहमति से बंटवाडा होकर अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु सायलान् एवं गैरसायलान् के बीच मौके पर हुए बंटवाडे के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हुआ। इस कारण से वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड मे सायलान् एवं गैरसायलान् के बीच सामलाती इन्द्राज है परन्तु मौके पर पक्षकारान् की भूमि अलग अलग बंटी हुई है और पक्षकारान् अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी जिसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हो रखा है परन्तु मौके पर सायलान् एवं

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

गैरसायलान् के बीच बंटवाडा हो रखा है मौके पर अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर जो बंटवाडा हो रखा है जिसमे पक्षकारान् ने अपने हक हिस्से की भूमि में मांठे कायम करके तारबन्दी कर रखी है और उस पर आने जाने के लिये रास्ते भी छोडे हुए है और उसी अनुरूप सायलान् एवं गैरसायलान् संख्या 1 अपने हक हिस्से के भू भाग पर काबिज है व मौके पर काश्त कर रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजी का सायलान् एवं गैरसायलान् के बीच मौके पर बंटवाडा हो रखा है और सायलान् एवं गैरसायलान् संख्या 1 अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है परन्तु उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज है जिसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हो रखा है इस कारण से सायलान् को अनेको प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है जिसमे सायलान् अपने हक हिस्से की भूमि में ट्यूबवैल खुदवाने, कृषि भूमि को अकृषि कार्य के लिये संपरिवर्तन करवाने, बिजली कनेक्शन लेने, सरकारी योजना के अनुसार पोण्ड का निर्माण करने एवं सरकारी एवं अर्द्धसरकारी योजना का फायदा लेने मे काफी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सायलान् के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी मौके पर सायलान् एवं गैरसायलान् संख्या 1 के बीच अपने हक हिस्से अनुसार अलग- अलग बंटी हुई है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से गैरसायलान् आये दिन मौके पर मांठ को लेकर विवाद करते है तथा गैरसायलान् संख्या 1 भीयाराम ने दिनांक 06/07/2022 सायलान् के हक हिस्से की भूमि के चारो तरफ लगी तारबन्दी व पत्थरो को तोड दिया एवं गांठ को बिखेरकर रोपी हुई पटि्यो को भी तोड दिया एवं सायलान् को यह ऐलानिया धमकी दी कि सहमति के अनुसार किये गये बंटवाडे को नहीं मानेगा एवं सायलान को मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर लेगा और सायलान् को हमेशा के लिये भूमि हीन कर देगा। यदि गैरसायलान् संख्या 1 अपने इन गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाता है एवं सायलान् को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देता है एवं सायलान् द्वारा मौके पर काबिल काश्त के लिये तैयारी की गई भूमि पर अकेला गैरसायलान् संख्या 1 कब्जा कर लेता है तो सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। जबकि सायलान् पिछले काफी वर्षा से अपने हक हिस्से मे आई भूमि पर खाद बीज व मिट्टी डालकर तैयार की व उस पर लाखो रूपये खर्च कर पटिया रोपी जिसको भी गैरसायलान् ने तोड दिया तो इस तरह गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो से सायलान् को असीम क्षति हो रही है एवं भविष्य मे भी गैरसायलान् सायलान् के हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर लेते है तो सायलान् अपने जायज हक अधिकारो से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा तथा तथ्यो परिस्थितियो एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से सायलान् के पक्ष मे प्रमाणित है। सायलान् के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के पेश है। सायलान् द्वारा दिनांक 06/07/2022 को गैरसायलान् द्वारा किये गये गैरकानूनी कृत्यो का विरोध किया तथा गैरसायलान् से निवेदन किया कि मौके पर आपसी सहमति से हो रखे बंटवाडे के अनुसार कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा कर लिया जावे तो गैरसायलान् स्पष्ट इन्कार हो गये एवं कानूनन बाई मिटस्

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

एण्ड बाउण्डस् के बटवाडा करने को सहमत नहीं हुए एवं सायलान् को मौके से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी यदि गैरसायलान् कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नहीं करके सायलान् को उसके हक हिस्से से बेदखल कर देते है तो सायलान् अपने जायज हक अधिकारो से महरूम हो जायेगा तथा गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानून कृत्यो का विरोध करेगा तो मौके पर विवाद बढेगा मल्टी प्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स् बढ़ेगी और विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी। जबकि सायलान् शांतिप्रिय व्यक्ति है एवं कानून में विश्वास करने वाला व्यक्ति है इसलिए सायलान् के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का सायलान् को और से खिलाफ गैरसायलान् के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 0.9712 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 350 रकबा 2.4686 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 353/1667 रकबा 0.5827 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.4128 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.4353 हैक्टयर मे से सायल अपने 1/2 हिस्से मे काश्त मुतालिक कुल कार्य खड़ाई बुवाई कटाई करे तो गैरसायलान् उनके हाली एजेन्ट नौकर चाकर दखल व दस्तन्दाजी नही करे तथा जब तक उक्त आराजी का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो जाता तब तक गैरसायल संख्या 1 उक्त भूमि के किसी भू भाग का किसी अन्य को रहन बेचान बक्सीस नहीं करे तथा सायल सहमति के अनुसार हुए बंटवाडे के अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि में काश्त करे तो गैरसायलान् इसमे किसी प्रकार की बाधा दखलन्दाजी नही करे व न ही तारबन्दी हटावे पटियो को तोडफोड करे न ही उक्त भूमि को किसी प्रकार से खूर्द बुर्द करे व न ही कोई कच्चा या पक्का निर्माण करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक गैरसायलान् को रोका जावे। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता जो सायलान् प्राप्त करने का अधिकारी हो अताः फरमावे ।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जो सामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित भूमि अनुसार राजस्व भूमि मौजा निम्बोल में स्थित होने के कथन सही होने स्वीकार है। लेकिन इस भूमि में सायल का 1/2 वा हक हिस्सा व अधिकार होने के कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि इस भूमि में सायल का केवल 1/7 वा हक हिस्सा व अधिकार ही है। राजस्व रेकर्ड में सायल के नाम 1/2 वा हिस्सा गलत दर्ज है। जवाब देहन्दा के पांच बहिने है जिनका सहवन से नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नही है। जिसके बाबत जवाब देहन्दागण की बहिने पृथक से कार्यवाही कर रही है। उपरोक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित भूमि अनुसार राजस्व भूमि मौजा निम्बोल में स्थित भूमि में सायल का 1/2 वा हक हिस्सा व अधिकार एवं कब्जा काश्त होने के कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि इस भूमि में सायल का केवल 1/7 वा हक हिस्सा व अधिकार ही है। राजस्व रेकर्ड में सायल के नाम 1/2 वा हिस्सा गलत

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

दर्ज है। जवाब देहन्दा के पांच बहिने है जिनका सहवन से नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नही है। जिसके बाबत जवाब देहन्दागण की बहिने पृथक से कार्यवाही कर रही है। इस प्रकार से सायल ने 1/2 वा अपना हक हिस्सा होना बताकर यह झूठा व निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है। उपरोक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित भूमि अनुसार राजस्व भूमि मौजा निम्बोल में स्थित भूमि में सायल का 1/2 वा हक हिस्सा व अधिकार एवं कब्जा काश्त होने के कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि इस भूमि में सायल का केवल 1/7 वा हक हिस्सा व अधिकार ही है। राजस्व रेकर्ड में सायल के नाम 1/2 वा हिस्सा गलत दर्ज है। जवाब देहन्दा के पांच बहिने है जिनका सहवन से नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नही है। जिसके बाबत जवाब देहन्दागण की बहिने पृथक से कार्यवाही कर रही है। इस प्रकार से सायल ने 1/2 वा अपना हक हिस्सा होना बताकर यह झूठा व निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है। उपरोक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित भूमि अनुसार राजस्व भूमि मौजा निम्बोल में स्थित भूमि में सायल का 1/2 वा हक हिस्सा व अधिकार एवं कब्जा काश्त होने के कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि इस भूमि में सायल का केवल 1/7 वा हक हिस्सा व अधिकार ही है। राजस्व रेकर्ड में सायल के नाम 1/2 वा हिस्सा गलत दर्ज है। जवाब देहन्दा के पांच बहिने है जिनका सहवन से नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नही है। जिसके बाबत जवाब देहन्दागण की बहिने पृथक से कार्यवाही कर रही है। इस प्रकार से सायल ने 1/2 वा अपना हक हिस्सा होना बताकर यह झूठा व निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है। इस प्रकार से सायल 1/2 वा हिस्से की भूमि के आधार पर भू रूपान्तरण करवाने एवं अन्य कार्यवाही में भी कतई सक्षम नही है। उपरोक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। 05- यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में सायल का 1/2 वा हिस्सा नही होकर 1/7 वा हिस्सा है उसके बावजूद भी सायल बिना किन्ही आधारो के अपने हक हिस्से में 1/2 वा हिस्सा होना बताकर अनावश्यक रूप से विवाद कर रहा है। गैरसायल पर झूठे आरोप लगा रहा है। इस प्रकार से उक्त भूमि के नये सिरे से बंटवाड़े की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से सायल ने अपने आप को अपूर्णीय क्षति होने व वाद बहुल्यता होने से सम्बन्धित झूठे आरोप लगाये गये है जो अस्वीकार है। कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 सायल ने झूठे तथ्यो का समावेश करते हुये दिनांक 06.07.2022 का उल्लेख भी झूठा किया है। इस भूमि में सायल का केवल 1/7 वा हिस्सा है जबकि सायल 1/2 वे हिस्से की भूमि का क्लेम कर रहा है जो कतई गलत है। इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्ठया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायल ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यो का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। एवं अतिरिक्त कथन निम्नानुसार है कि इस प्रकरण में वास्तविकता इस प्रकार से है कि अदालत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र में सायल / प्रार्थी बीजाराम ने मूल प्रार्थना पत्र

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक ...)

बाबत घोषणा, बंटवाड़ा व अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 349, 350, 353/1667, 372 कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.4353 हैक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि सायल व उसके काका भीयाराम की संयुक्त व सामलाती है। जिसके बाबत बंटवाड़े का अनुतोष चाहते हुये बंटवाड़े बाबत विवाद होने से सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिनाय के आधार पर अपना मूल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्व मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 349, 350, 353/1667 जिसके पूर्ववर्ती नम्बर 353/मीन, 372, 784, 1103 की भूमि के वक्त सेटलमेन्ट के समय काबिज खातेदार काश्तकार सायल गैरसायल के पिता व पूर्वज जेठाराम वल्द ताराजी रहे है तथा वक्त सेटलमेन्ट के समय से इस भूमि पर जेठाराम जी का ही कब्जा काश्त व हक अधिकार रहा है। इस भूमि की मिसल बन्दोबस्त इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार से वक्त सेटलमेन्ट से लगायत पश्चातवर्ती चौसाला जमाबन्दी सवत 2016 से 2019, 2020 से 2023, 2024 से 2027, 2028 से 2031 तक की इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। तत्पश्चात खसरा नम्बर 1103, 784 की भूमि जरिये नामांन्तकरण के अन्य व्यक्तियो के नाम से दर्ज कर दिये जाने के बाद शेष खसरा नम्बर 349, 350, 353/1667 जिसके पूर्ववर्ती नम्बर 353/मीन, 372 की भूमि जेठाराम वल्द ताराजी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही थी जो लगातार चौसाला जमाबन्दी 2032 से 2035, 2037 से 2039 की इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपर वर्णित अनुसार व राजस्व रेकर्ड अनुसार इस प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि जवाब देहन्दा की पैतृक व पुश्तैनी है जो पूर्व में जवाब देहन्दा के पिता व पूर्वज जेठाराम वल्द ताराजी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। तत्पश्चात जेठारामजी का देहान्त होने पर तत्कालीन हल्का पटवारी ने जवाब देहन्दा के पिता व पूर्वज जेठाराम के सभी विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही जेठारामजी के दो पुत्र मोतीया भोमला पिसरान जेठा के नाम का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 821 भरते हुये स्वीकृत करवा लिया जो कतई गलत व फर्जी है। वास्तविकता में जेठाराम वल्द ताराजी के दो जायन्दा पुत्रो के अलावा कुल पांच जायन्दा पुत्रीया क्रमशः सुगनादेवी, पतासी देवी, सुन्दरी देवी, रामीदेवी, शान्ति देवी भी रही है जो जेठाराम के स्वर्गवास के समय उनके सामलाती ही रह रही थी। एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की इस वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रही थी। उसके बावजूद भी तत्कालीन हल्का पटवारी ने जेठाराम के विधिक वारिसान की सही जांच किये बिना ही केवल मोतीया भोमला पिसरान जेठा के नाम फौतेदगी म्यूटेशन भरते हुये स्वीकृत करवा लिया। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के माफिक सुगनादेवी, पतासी देवी, सुन्दरी देवी, रामीदेवी, शान्ति देवी अपने पिता जेठाराम की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है। जिनमें से जेठाराम के देहान्त होने के कई वर्षो बाद पतासी देवी, सुगनादेवी, सुन्दरी देवी, शान्ति देवी का भी स्वर्गवास हो गया है। जिनके उपर वर्णित अनुसार जेठाराम जी के वारिसान प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी / वारिसान है। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि जवाब देहन्दा के पिताजी की संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त व सामलाती पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा भरा गया नामान्तकरण संख्या 821 ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण कतई गलत व कूटरचित दस्तावेज मात्र है, साथ ही ऐसे कूटरचित व फर्जी नामान्तकरण संख्या 821 से जवाब देहन्दा की बहिनो को उनके पुश्तैनी जायदाद में प्राप्त हक एवं

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

अधिकार समाप्त नही होते है। न ही जवाब देहन्दा की बहिनो के हक हिस्से की पैतृक पुश्तैनी जायदाद को जरिये रहन, बैचान, वसियत के अन्य हस्तान्तरण करने का सायल को कोई हक अधिकार ही प्राप्त होता है। यानि इस वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे में जेठाराम के विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से सभी उत्तराधिकारी प्रत्येक का 1/7–1/7 वा हिस्सा, यानि कुल का 5/7 वा हिस्सा प्राप्त है। इसी प्रकार इस प्रार्थना पत्र के सायल व गैरसायलान को 2/5 वा हक हिस्सा ही प्राप्त है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में कूटरचित व फर्जी नामान्तकरण के जरिये मोतीया भोमला पिसरान जेठाराम के नाम का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है। जिसके आधार पर अदालत श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि जेठाराम जी की पुत्रियों के पैतृक पुश्तैनी हक हिस्से की खातेदारी भूमि के बाबत पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते हैः–

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला** :– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में बन्टवाड़ा बाबत् न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत किया, जो जैरकार है। चुंकि अपने हक हिस्से तक प्रत्येक सहखातेदार को सहखातेदारी भूमि की कानूनन बंटवाडे का अधिकार होता है, साथ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसका बन्टवाड़ा करवाये बिना अप्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजी में मांठ पर लगी तारबंदी व पत्थरों को तोड़ दिया। जिससे सहखातेदारान् के मध्य मौके की स्थिति को लेकर विवाद उत्पन्न होनें के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का सतुंलन** :– चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रत्येक सहखातेदारी अपने हक हिस्से तक ऐसी सहखातेदारी भूमि के प्रत्येक भाग पर कब्जा माना जाता हैं। लिहाजा यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूर्णनीय क्षति** :– चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू–अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा बिना कानूनन बंटवाड़ा करवाये अविभाजित भूमि में तारबंदी को तोड़ दिया तथा यह भी सम्भावना रहती है कि ऐसा आगे भी किया जा सकता है तथा यदि ऐसा होता है तो वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति तथा प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन् में जटिलता एवं विलम्ब होना स्वाभाविक है। जिसकी अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को ही होना स्वाभाविक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसमें सहखातेदारान् के मध्य मौके की स्थिति को लेकर विवाद उत्पन्न होनें के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है, अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद तक वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी अपने 1/2 हिस्से में काश्त करें या करावे या कृषि संबंधी कार्य करे तो उसमें दखलदांजी न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद सरहद मौजा– निम्बोल, पटवार हल्का –निम्बोल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र– निम्बोल, तहसील– जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 349 रकबा 0.9712 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 350 रकबा 2.4686 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 353/1667 रकबा 0.5827 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.4128 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आराजी में प्रार्थी अपने 1/2 हिस्से में काश्त करें या करावे या कृषि संबंधी कार्य करे तो उसमें दखलदांजी, बेदखल नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 24/10/2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)